



## बिहार सरकार

### बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना (बिहार सरकार का उपक्रम)

केवल ई-निविदा पद्धति के अनुसार वेबसाईट एवं [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in) पर  
SBD (EPC) ई०-निविदा आमंत्रण सूचना सं०-75/2024-25

- 1 विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, अस्पताल रोड, शास्त्रीनगर, पटना-800023
- 2 निविदा आमंत्रण की तिथि : दिनांक: 10.03.2025
- 3 निविदा कागजात प्राप्त करने (डाउनलोड) करने की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक: 25.03.2025 से 15.04.2025 को 03:00 बजे तक।
- 4 निविदा जमा करने (अपलोड करने) की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक-16.04.2025 को 03:00 बजे तक।
- 5 निविदा खोलने (तकनीकी बीड) की तिथि एवं समय : दिनांक: 17.04.2025 को 03:00 बजे तक।
- 6 वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय : तकनीकी बीड मूल्यांकन के पश्चात्
- 7 निविदा कागजात/परिमाण विपत्र बिक्री, प्राप्ति एवं खोलने का स्थान : संबंधित उप महाप्रबंधक, (कॉलम-9 के अनुसार) का कार्यालय
- 8 प्री-बीड मीटिंग की तिथि, समय एवं स्थान : दिनांक-02.04.2025 को 16:00 बजे संबंधित उप महाप्रबंधक के कार्यालय कक्ष में।
- 9 प्री-बीड मीटिंग की तिथि, समय एवं स्थान : दिनांक: 03.04.2025 को 16:00 बजे, मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, अस्पताल रोड, शास्त्रीनगर, पटना-23
- 10 निविदा वैधता की तिथि : 120 दिन
- 11 कार्य की विवरणी:-

क्र०	कार्य का नाम	निविदा कागजात/परिमाण विपत्र की राशि	अग्रधन की राशि (₹ में)	निविदा कागजात/परिमाण विपत्र का मूल्य (₹ में)	Bid Processing Fee सेवा कर सहित	कार्य समाप्ति की अवधि (माह में)	उप महाप्रबंधक का नाम
1	3	4	5	6	7	8	9
1	अरवल जिलान्तर्गत मुन्द्रिका सिंह कॉलेज के पास मिर्जापुर, किंजेर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य।	₹36,61,69,132.00	₹46,61,700.00	₹10,000.00	As per website	15 (पन्द्रह)	गया
2	मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहानाबाद के परिसर में विभिन्न खेल अवसंरचनाओं का निर्माण कार्य।	₹27,95,74,752.00	₹37,95,800.00	₹10,000.00	As per website	15 (पन्द्रह)	गया
3	मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत देव, औरंगाबाद में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, का निर्माण कार्य।	₹27,46,50,097.00	₹37,46,500.00	₹10,000.00	As per website	15 (पन्द्रह)	गया

12. कोई भी संवेदक जो केन्द्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रों में निबंधित हों अथवा राष्ट्रीय स्तर के हों, निविदा में भाग ले सकते हैं परन्तु कार्य का लेटर आफ एक्सेप्टेंस प्राप्त होने के बाद भवन निर्माण विभाग में समुचित श्रेणी में ऑनलाईन निबंधन (भवन निर्माण विभाग का ज्ञापांक-5501(भ०) दिनांक-20.09.2021 के आलोक में) कराना अनिवार्य होगा। वैसे संवेदक जो निविदा में भाग लेने के लिए भवन निर्माण विभाग का निबंधन उपयोग में लाते हैं उनका ऑनलाईन निबंधन ही मान्य होगा।

13. निविदा केवल ई-निविदा पद्धति के अनुसार वेबसाइट([www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in))पर निष्पादित किया जाएगा। ई-निविदा प्रक्रिया से संबंधित जानकारी Toll Free No.-18005726571 से प्राप्त किया जा सकता है।
14. ई-निविदा में भाग लेने के इच्छुक संवेदकों को ई-प्रोक्योरमेंट के साथ निबंधन कराना होगा। वेबसाइट पर आवश्यक निबंधन प्रपत्र उपलब्ध है। इस निबंधन से उन्हें user id तथा password मिलेगा। संवेदकों को DSC (Digital Signature Certificate) भी प्राप्त करना होगा। user id, password, DSC एवं इंटरनेट के उपयोग से ही संवेदक ई-निविदा में भाग ले सकेंगे।
15. निविदादाताओं को सिर्फ वेबसाइट पर ही, निविदा कागजात प्राप्त (डाउनलोड) एवं जमा (अपलोड) करना होगा। सुनिश्चित जगहों पर भरे गये विहित प्रपत्रों को एवं आवश्यक कागजातों को समर्पित करना होगा। निविदा खुलने की जानकारी तथा निविदा संबंधित किसी भी प्रकार के शुद्धि-पत्र की जानकारी निगम के वेबसाइट <https://bsbcci.bihar.gov.in/www.eproc2.bihar.gov.in> से प्राप्त होगी।
16. परिमाण विपत्र के मूल्य की राशि (जो किसी भी स्थिति में लौटाया नहीं जायेगा) का भुगतान ऑन लाईन अर्थात Internet Payment Gateway (IPG)के माध्यम से जमा करना होगा एवं उक्त वर्णित Internet Payment Gateway (IPG)की छायाप्रति **संबंधित उप महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०(कॉलम-9 के अनुसार)** अथवा महाप्रबंधक (उत्तर/दक्षिण), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना अथवा मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना के कार्यालय में निविदा खोलने की अंतिम तिथि एवं समय के पूर्व जमा करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा।
17. Bid processing fee + Service Tax (कॉलम-7) का भुगतान संवेदक Internet Payment Gateway (Credit/ Debit Cards) अथवा Internet Banking अथवा NEFT/ RTGS Challan के माध्यम से BSEDC Ltd.के Bid Processing Fee Account में Credit करेंगे। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा। यह फीस निविदा प्रपत्र डाउनलोड की अंतिम तिथि एवं समय से पूर्व जमा किया जाना अनिवार्य है।
18. अग्रधन की राशि **संबंधित उप महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, (कॉलम-9 के अनुसार) के नाम से (1) Bank Guarantee** अथवा (2) Online (Internet Payment Gateway (IPG), (Challan) के रूप में होना चाहिए। अग्रधन की राशि, मूल रूप में **संबंधित उप महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, (कॉलम-9 के अनुसार)/** महाप्रबंधक (उत्तर/दक्षिण), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना के कार्यालय में, निविदा खोलने की तिथि एवं समय के पूर्व जमा करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा।
19. निविदादाता/एजेंसी/संवेदकगण द्वारा विभिन्न प्रयोजन हेतु जमा करायी जाने वाली बैंक गारंटियों की सत्यता का Real Time जाँच एवं Expiry से पहले नवीकरण हेतु बेहतर प्रबंधन आदि से संबंधित कार्य को बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० द्वारा ICICI Bank के ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। अतएव, निविदादाता/संवेदकगण कृपया BG Issuer Bank से BG जारी कराते समय Advising Bank के रूप में ICICI Bank, Branch-Exhibition Road, Patna, (IFSC Code-ICIC0006259) को OPT करना सुनिश्चित कराएंगे। हालाँकि निविदादाता/एजेंसी/संवेदकगण EMD/SD आदि की राशि हेतु पूर्व की भाँति किसी भी Nationalised Bank/SBI द्वारा निर्गत बैंक गारंटी जमा कराने हेतु स्वतंत्र होंगे।
20. दिनांक-01.02.2019 के बाद CA द्वारा Certified/Audited/Attested किए गए सभी Documents यथा Audited Balance Sheet/ Turnover Certificate/अन्य आवश्यक दस्तावेज पर UDIN नम्बर अंकित कराने के उपरान्त ही निविदादाता इसे e-proc2 पर अपलोड करेंगे
21. वेबसाइट पर Tender free view में निविदा प्रपत्र उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र में दर्शाए गये स्वरूप में ही अग्रधन की राशि स्वीकार्य होगी।
22. कार्य की पूर्ण जानकारी के लिए संबंधित उप महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, (कॉलम-9 के अनुसार)/महाप्रबंधक (उत्तर/दक्षिण), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० पटना/मुख्य महाप्रबंधक बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना के कार्यालय से किसी कार्य दिवस के कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।
23. बिना कारण बताये निविदा को अस्वीकृत करने/रद्द करने का अधिकार सक्षम पदाधिकारी को सुरक्षित है।
24. Scope of work में घटोत्तरी/बढोत्तरी /बदलाव प्रशासी विभाग यथा सक्षम प्राधिकार के निदेश पर की जा सकेगी तदनुसार आवश्यक स्वीकृति के पश्चात् भुगतान की प्रक्रिया अपेक्षित है।
25. कार्यावटन के पश्चात् बिहार सरकार द्वारा जारी संकल्प एवं परिपत्रों में दिये गये निर्देशों का निर्माण कार्य में पालन करना अनिवार्य होगा।
26. भवन निर्माण विभाग का ज्ञापांक-5768 (भ), दिनांक: 18.07.2023 के आलोक में प्रतिशत दर निविदा (In Percentage Rate tender) पद्धति में निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा को समाप्त कर दिया गया है तदनुसार निविदादाता को उक्त पत्र के आलोक में एकरारनामा के समय उनके द्वारा निविदित दर के अनुसार additional Performance guarantee जमा करना अनिवार्य होगा।
27. निविदादाता निविदा अपलोड करते समय एक शपथ-पत्र अपलोड करेंगे जिसमें यह वर्णित होना चाहिए कि वह बिहार सरकार/भारत सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/आदि से डिबार/कालीकृत नहीं हैं। निविदा प्राप्ति के उपरांत एवं निविदा निष्पादन की प्रक्रिया के दौरान यदि संवेदक को कार्यपालक अभियंता के द्वारा डिबार किया जाता है तो निविदा में भाग लेने के लिए cut off date निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी तथा उनके निविदा का मूल्यांकन/निष्पादन किया जाएगा। यदि निविदा प्राप्ति के उपरांत एवं निविदा निष्पादन की प्रक्रिया के दौरान यदि संवेदक का ऐसा कृत्य संज्ञान में आता है जिसके कारण अभियंता प्रमुख द्वारा बिहार टीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 की कडिका-11(क) के तहत उन पर अपराधिक मामला बन जाता है अथवा निबंधन कालीकृत/निलंबित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा तथा इसका प्रभाव कार्य आवंटन तक होगा।

28. निविदादाता निविदा अपलोड करते समय जो शपथ-पत्र अपलोड करेंगे वह निविदा की तिथि के बाद का हो, संलग्न(अपलोड) करना अनिवार्य होगा। पुनर्निविदा की स्थिति में उक्त कार्य के लिए प्रथम/मूल निविदा की तिथि के बाद का निर्गत अभिलेख भी मान्य होगा।
29. निविदा का निस्तारण SBD नियम information to Bidder (ITB), General Condition of Contract (G.C.C.), Special Condition of Contract (S.C.C.), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 के नियम और बिहार सरकार के Rule of Bid Document के अनुसार किया जायेगा। इस संबंध में किसी भी विधि सम्मत दावा स्वतः अमान्य होगा।
30. निविदा में एस0बी0डी0 की कंडिका 2A विलोपित समझा जाए।
31. गृह विभाग के पत्रांक-29 दिनांक-25.01.2021 के आलोक में कार्य का आवंटन निविदा के माध्यम से प्राप्त करने वाले व्यक्तियों (संवेदक एवं उपसंवेदकों) से जिला पुलिस के द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र एकरारनामा के पूर्व समर्पित करना अनिवार्य होगा।
32. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा से संबंधित कागजातों में यदि कोई विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है तो इस निविदादाता पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी एवं निबंधन को निलंबित करने की भी कार्रवाई की जाएगी।
33. Landscape कार्य के साथ परियोजना एवं परियोजना के सभी अवयवों के लिए दोष दायित्व अवधि (DLP) सभी परियोजनाओं को पूरी तरह से हस्तान्तरण के बाद 03 वर्ष के लिए होगा।
34. अभियंत्रण इकाई में कार्यरत कर्मियों की सूची एवं नियोजन के संबंध में नियोजनकर्ता एवं नियोजित अभियंता (अधिकतम 65 वर्ष आयु तक) का शपथ प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
35. निविदादाता निविदा में भाग लेने से पूर्व संबंधित ड्राइंग, डिजाइन, विशिष्टता एवं कार्य स्थल की वास्तविक स्थिति से अवगत होकर ही अपना दर उद्धृत करेंगे। कार्य स्थल पर मिट्टी, बालू भर्राई, अतिरिक्त सामग्री ढुलाई इत्यादि से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
36. निर्माण कार्य में उपयोग होने वाले प्रत्येक सामग्री की गुणवत्ता की समपुष्टि इंजीनियर ईचार्ज से कराने के बाद ही उसका उपयोग संबंधित कार्यों में करना होगा।
37. EPC Mode में यदि बोली दस्तावेज में कोई विनिर्देश /ड्राइंग /डिजाइन और आईटम नहीं है तो उस स्थिति में कार्य CPWD विनिर्देश NBC-2016 आईएस कोड प्रावधानों में दिये गये विनिर्देश/ड्राइंग /डिजाइन और आईटम के अनुसार निष्पादित किया जायेगा। DSR -2023, BCD SOR 2022(सिविल मद) एवं BCD ESOR 2023 एवं बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 के प्रभारी अभियंता/सक्षम पदाधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा।
38. कार्य के निष्पादन के दौरान यदि निविदादाताओं द्वारा प्रदान की गयी किसी भी वस्तु की विशिष्टताओं में कोई परिवर्तन होता है तो उस स्थिति में बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना द्वारा कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 द्वारा निर्गत विशेषताओं /ड्राइंग/डिजाइन एवं मद में छूटे विवरणी के लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा।
39. यह EPC आधारित निविदा है बीडर को वर्तमान GST को सम्मिलित करते हुए निविदा राशि अंकित करनी होगी। GST गणना के लिए अलग से कोई दावा मान्य नहीं होगा।
40. अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या-2377(भ) दिनांक-16.03.2023 के अनुरूप "Contract Clause -25 Settlement of Disputes and Arbitration- The settlement of Disputes and Arbitration shall be done in accordance with the provisions made in Bihar Public Works Contracts Disputes Arbitration Tribunal Act, 2008".
41. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निविदादाता को राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित सभी वैधानिक स्वीकृति (Firefighting , environment clearance सहित) लेनी होगी एवं इसके लिए बैंक ड्राफ्ट /बैंक गारंटी भी देनी होगी।
42. अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग का पत्रांक-02 विविध-06/2007-69(भ0) दिनांक-03.01.2023 के तहत निर्धारित लागत मूल्य आधारित समय अवधि अनुमान्य(Admissible) रहेगा।

ह0/-

मुख्य महाप्रबंधक,  
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना।

ज्ञापक:- 926

दिनांक: 10/03/2025

प्रतिलिपि:-निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को e-advertisementके माध्यम से दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ समर्पित।

मुख्य महाप्रबंधक,  
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना।